सिविल **बैंक प्रकरण संख्या 83/2018** (RCMS **2018/00158**) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (मुख्य शाखा), 106 दयानन्द मार्ग, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. **दीपक बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल, निवासी 26 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, मकान नं. 290 अशोक नगर, श्रीगंगानगर एवं 7–बी ब्लॉक, श्रीगंगनगर 2. अजय बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र बंसल निवासी 4–बी–46, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.)**

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण दीपक बंसल एवं अजय बंसल को ऋण सुविधा के रूप में 5.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दीपक बंसल की कार (मारूति रिट्ज वीडीआई – डीजल), एम.एम.वी. कार, रजि. नं. आरजे 13–सीए–8147, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.09.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.09.2016 को कुल 03,27,967/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 18.10.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी दीपक बंसल की कार (मारूति रिट्ज वीडीआई–डीजल), एम.एम.वी. कार, रजि. नं.

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आरजे 13–सीए–8147 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों दीपक बंसल एवं अजय बंसल को 5.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 13.12.2012 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में दीपक बसंल की **कार (मारूति रिट्ज वीडीआई–डीजल), एम.एम.वी. कार, रजि. नं. आरजे 13–सीए–8147,** जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 30.09.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 18.10.2016 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है एवं धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पर दीपक बंसल के हस्ताक्षर है एवं गारंटर अजय बसंल के हस्ताक्षर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज में न होने के कारण धारा 13(2) के नोटिस की पावती रसीद के हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं होती है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी कार (मारूति रिट्ज वीडीआई–डीजल), एम.एम.वी. कार, रजि. नं. आरजे 13/

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सीए—8147, जो दीपक बंसल के नाम से है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है **वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में रजिस्टर्ड है।** इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.10.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 18.10.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी ऋणियों दीपक बंसल एवं अजय बंसल के नाम जारी किये गये है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी दीपक बसंल के धारा 13(2) के नोटिस की पावती रसीद पर स्वयं के हस्ताक्षर है और अप्रार्थी ऋणी/गारंटर अजय बसंल के हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे अजय बसंल की रसीद/ए.डी. पर किए गए हस्ताक्षरों की पुष्टि रिकॉर्ड से नहीं हो सकती। इस प्रकार अप्रार्थी अजय बसंल की धारा 13(2) की तामिल नहीं होने के कारण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से **पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर